तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही जब इनिशियल्स जज	नम्बर पार्टी हुक्म में
	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा श्रीमान मन्नी बनाम रामधन मीणा विषय- प्रा0 पत्र नि0 - 48/15	

22.03.2018

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागणो द्वारा प्रा0पत्र बाबत स्थगन में बहस करना चाहने से बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए, बहस के दौरान कथन किया कि प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें। जबकि इसके विरूद्ध विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए सलंग्न दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीया के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार किये जाने की ईस्तदुआ की।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध आधार राजस्व अभिलेख दस्तावेजात का अवलोकन/परिक्षण किया गया। एंव बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बाबत स्थगन में आगे की कार्यवाही को इसी स्तर पर स्थगित कर, अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी रहे।